तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
12/04/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी नं० 25, 26 की तामील वर्ष में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः अप्रार्थी नं० 25, 26 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी नं० 2, 8, 18 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/04/19 को पेश हो। (sd.)
18/04/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा गै० मु० सिवायचक रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया, साथ ही पेशशुदा इकबाली जवाब एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थीगण सं० 1, 3 ता 7, 9 ता 17, 19 ता 24 ने राजीनामा पेश कर एवं अप्रार्थी सं० 2, 8, 18 ने इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गै० मु० रास्ता दर्ज कर दिये जाने पर सहमति प्रकट की है। तहसीलदार पचेवा ने भी प्रार्थी की कृषि जोत तक पहुंच हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 28/03/2019 प्रार्थी की कृषि जोत ख०नं० 10, 11/2, 9 के तन ग्राम दूलथाना में पहुंच हेतु ख०नं० 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तन ग्राम दूलथाना में से (राजीनामा में वर्णितानुसार) गै० मु० सिवायचक (सार्वजनिक) रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार पचेवा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 06/02/2019 के संलग्न नजरी नक्शा एवं

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	राजीनामा दिनांकित 28/03/2019 निर्णय के भाग रहेंगे। मुताबिक राजीनामा एवं नजरी नक्शा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18-04-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	18/04/2019 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner